राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18681/2022

अशोक कुमार श्रीमाली पुत्र स्वर्गीय श्री रोड़ी लाल श्रीमाली, आयु लगभग 66 वर्ष, 22-बी, तुलसी नगर, पिपली चौक, टेकरी, उदयपुर (राजस्थान)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव आयुर्वेद विभाग, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

2. राजकीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, उदयपुर (राजस्थान)।

3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग निदेशालय, जयपुर (राजस्थान)।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विनय जैन तथा श्री दर्शन जैन।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>06/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक 3) के पत्र से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को गैर-आपातकालीन मामला बताते हुए खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, वह राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या), नियम 2013 के नियम 11(2) के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने और ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश भी चाहता है।

2. मामले में दलील दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ आयुर्वेद कंपाउंडर के पद पर कार्यरत था और 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने के लिए अहमदाबाद गया था, जहां वह घायल हो गया और उसे 28.12.2021 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर्जरी के बाद, उसे 03.01.2022 को छुट्टी दे दी गई।

2.1. याचिकाकर्ता ने राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या), नियम 2013 के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और सर्जरी/उपचार के सभी बिलों की राशि 3,34,619/- रुपये संलग्न की।

2.2. 16.09.2022 को, याचिकाकर्ता के प्रतिपूर्ति के दावे को प्रतिवादी विभाग ने इसे गैर-आपातकालीन मामला बताते हुए खारिज कर दिया।

2.3. याचिकाकर्ता का दावा है कि नियम 2013 के नियम 9 के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी राजस्थान से बाहर इलाज कराता है, तो वह राजस्थान में लागू दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। लेकिन प्रतिवादियों ने मनमाने तरीके से याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है। केस फाइल को देखने और दलीलों के अवलोकन के बाद, यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता के दावे को गैर-आपातकालीन मामला होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अतः उसे राजस्थान राज्य के बाहर से उपचार कराने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति लेनी चाहिए थी।

4. तथापि, यह निर्विवाद है कि गैर-आपातकालीन स्थिति में भी यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर उपचार कराता है, तो निश्चित रूप से इस चेतावनी के साथ कि उस स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति उस सीमा तक होनी चाहिए, जो राजस्थान राज्य के सरकारी अस्पताल या रेफरल अस्पताल में लागू दरों के अनुसार निर्धारित की गई है।

5. ऐसा होने पर, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले को राजस्थान में उपचार के रूप में मानेंगे। इस धारणा के आधार पर, उसके द्वारा की गई सर्जरी के लिए जो भी दरें लागू हैं, उस सीमा तक उसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार माना जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि तदनुसार लागू सेवा नियमों के अनुसार विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित समानुपातिक राशि की गणना की जाए और याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए।

6. आवश्यक कार्यवाही तीन महीने की अवधि के भीतर की जाए।

7. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, निपटाए जाएँगे।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।